<u>समयबद्ध/ शीर्ष प्राथमिकता</u>

संख्या 1992/84-2-2021

प्रेषक,

अशोक कुमार मिश्र ,
उप सचिव,
उ.प्र. शासन ।

सेवा में,

निदेशक ,
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ,
उ.प्र. लखनऊ ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग 2 लखनऊ दिनांक 23 सितम्बर,2021

विषय : जिला उपभोक्ता आयोग के सदस्यों के रिक्त पदों पर चयन हेतु आयोजित साक्षात्कार स्थगन के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त साक्षात्कार स्थगन विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया संलग्न पत्रांक सी.पी.370/84-2-2021 दिनांक 23 सितम्बर, 2021 की विज्ञप्ति को हिंदी एवं अंग्रेजी के सर्वाधिक प्रसार वाले समाचार पत्र में डी.ए.वी.पी./ राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर पर अतिशीघ्र प्रकाशित कराने का कष्ट करें तथा प्रकाशित कराये गए विज्ञप्ति की एक प्रति शासन को भी उपलब्ध करने का कष्ट करें ।

संलग्नक यथोक्त ।

भवदीय,

(अशोक कुमार मिश्र)
उप सचिव ।

<u>पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निबंधक, राज्य उपभोक्ता आयोग उ.प्र. को विज्ञप्ति की प्रति इस निदेश के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त विज्ञप्ति को आयोग के वेबसाइट पर तत्काल अपलोड कराएँ ।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार मिश्र)
उप सचिव ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप विभाग

उत्तर प्रदेश शासन

पत्रांक सी.पी.370/84-2-2021 दिनांक 23 सितम्बर,2021

साक्षात्कार स्थगन

प्रदेश के जिला उपभोक्ता आयोगों में रिक्त सदस्यगण (सामान्य सदस्य एवं महिला सदस्य) के 84 पदों पर चयन हेतु विज्ञापन पत्रांक: सी.पी.127/84-2-2021, दिनांक 12 मई, 2021 प्रकाशित कराया गया था । पी.आई.एल. संख्या 11/2021 में मा. उच्च न्यायालय बाम्बे नागपुर बेंच, नागपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14 सितम्बर, 2021 के क्रम में चयन- समिति द्वारा लिए गए निर्णय दिनांक 23 सितम्बर, 2021 के अनुसार दिंनाक 25,26,27,28,29 एवं 30 सितम्बर 2021 को जिला उपभोक्ता आयोगों में रिक्त/रिक्त होने वाले सदस्य पद हेतु आयोजित साक्षात्कार स्थगित किये जाते हैं ।

साक्षात्कार हेतु अगली सूचना पृथक से दी जाएगी ।

(अशोक कुमार मिश्र)
उप सचिव ,
उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप विभाग
उत्तर प्रदेश शासन ।